न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : – डिक्री 376 सन् 2016

पंजीयन दिनांक :– 22.09.2016

गोपीलाल पिता मांगीलाल जाति चमार निवासी खातीखेड़ा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट

विरुद्ध

1. मुकेश पिता कंवरलाल जाति धाकड़ निवासी भवानीपुरा (कुण्डाल) तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़
2. तहसीलदार रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोंडेन्टगण

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा
प्रकरण संख्या 06/2016 वाद निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.07.2016

उपस्थित :– 1. छोगालाल जाट– अधिवक्ता अपीलान्ट
2. रेस्पोडेन्ट सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित
3. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2

निर्णय **दिनांकः– 31.01.2023**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट वादी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादपत्र धारा 88,183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मोजा गिलोता तहसील रावतभाटा की खाता सं. 164 मे दर्ज आराजी नम्बर 88 रकबा 1.08 हैक्टेयर जिस पर अपीलान्ट वादी काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त कृषि आराजीयात अपीलान्ट वादी को दिनांक 22.05.1989 को भू–आंवटन कमेटी के परामर्श से सहायक कलक्टर, रावतभाटा द्वारा आंवटित हुई, जिससे अपीलान्ट वादी 10 वर्ष पूर्व से उक्त कृषि आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। विगत समय मे तहसील रावतभाटा का नवीन भू–प्रबन्ध किया गया। भू–प्रबन्ध अधिकारियो ने त्रुटिवश अपीलान्ट वादी को बिना सुने अपीलान्ट वादी की उक्त कृषि आराजी को बिलानाम सरकार दर्ज कर मोजा गिलोता की वर्तमान कृषि आराजी नम्बर 278 मीन रकबा 15.77 हैक्टेयर में मिला दिया। अपीलान्ट वादी अपनी आराजी गत ख.न. 88 रकबा 1.08 हैक्टेयर पर काबिज होकर उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है जिससे अपीलान्ट वादी नवीन आराजी नम्बर 278 मीन मे से 1.08 हैक्टेयर कृषि आराजी की घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया जिस पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। जवाबदावे हेतु

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

समय चाहा जवाबदावे हेतु पत्रावली नियत थी, इसी दरम्यान उक्त पत्रावली राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत नीयत की गई। राजस्व लोक अदालत के तहत बिना किसी लिखित राजीनामे के अपीलान्ट वादी का वादपत्र प्रमाणित होना नही मानते हुए निरस्त किये जाने के निर्णय व डिक्री पारित किये।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.07.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट वादी ने इस न्यायालय मे म्याद बाहर प्रथम अपील प्रस्तुत की।

इस न्यायालय मे अपीलान्ट वादी की ओर से प्रथम अपील म्याद बाहर प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट सं. 2 प्रतिवादी की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट वादी ने इस न्यायालय मे म्याद बाहर अपील प्रस्तुत की। म्याद को क्षम्य किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र मे प्रस्तुत किया गया।

अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र मे वर्णित तथ्य विश्वसनीय व स्वीकार योग्य होने से अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद मानी जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्ट वादी ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट वादी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध खातेदारी घोषणा, कब्जेयाबी, स्थायी निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का वादपत्र मोजा गिलोता तहसील रावतभाटा की खाता सं. 164 मे दर्ज आराजी नम्बर 88 रकबा 1.08 हैक्टेयर बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। नवीन भूप्रबन्ध में अपीलान्ट आवंटी की उक्त कृषि भूमि नवीन आराजी नम्बर 278 मीन रकबा 15.77 हैक्टेयर बिलानाम सरकार में मिला दी गई, जिसमे से 1.08 हैक्टेयर कृषि आराजी पर अपीलान्ट वादी काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है जिससे अपीलान्ट वादी को खातेदार घोषित किया जाकर कब्जेयाबी व स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जावे। रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जावे। उक्त वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। जवाबदावे हेतु पत्रावली विचाराधीन थी। बिना जवाबदावा बन्द किये उक्त पत्रावली को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मे नियत किया जाकर बिना किसी लिखित राजीनामे के अपरिपक्व पत्रावली का गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट वादी का वादपत्र निरस्त किये जाने के निर्णय व डिक्री पारित किये है जिससे अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

वक्त बहस रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी सं 1 व रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी सं. 1 के अधिवक्ता बार-बार आवाज लगाने पर भी अनुपस्थित रहे।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 प्रतिवादी ने निवेदन किया कि अपीलान्ट वादी न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट खातीखेड़ा में दिनांक 16.06.2016 को स्वयं उपस्थित रहा जिसने गांव गिलोता में मौके पर विवादित आराजी के किसी भी भाग पर अथवा गांव में अन्य कही पर भी अपना कोई कब्जा नही होना स्वीकार कर आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। अपीलान्ट वादी आवंटी सदभावी कृषक नहीं है। रिपोर्ट पटवारी हल्का खातीखेड़ा से भी उक्त तथ्य की पुष्टि होती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत होना बताते हुए अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट वादी ने रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध घोषणा, कब्जेयाबी, स्थायी निषेधाज्ञा व इन्द्राज दुरुस्ती का वादपत्र प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 29.01.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादी सं. 1 की ओर से दिनांक 15.03.2016 को अधिवक्ता का अधिकार पत्र प्रस्तुत हुआ व जवाबदावे हेतु अवसर चाहा। जवाबदावे हेतु तारीख पेशी दिनांक 14.07.2016 नियत थी, उससे पूर्व ही उक्त पत्रावली को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मे नियत की जाकर दिनांक 09.07.2016 को बिना किसी लिखित राजीनामे के अपरिपक्व पत्रावली में गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट वादी का वादपत्र न्यायोचित नही होना मानते हुए निरस्त किये जाने के निर्णय व डिक्री पारित किये है, जो विधिसम्मत नही होने से व राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायिक दृष्टान्त आर.एल.डब्ल्यु. 2008 पार्ट-2 पेज 975 मे प्रतिपादित सिद्धान्तो के विपरीत होने से अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा के प्रकरण संख्या 06/2016 रेवेन्यू वाद मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.07.2016 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दिवानी की पालना करते हुए अजसरे तनकीवार नव निर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 16.03.2023 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज0)